HDFC BANK We understand your world

एचडीएफसी बैंक लि. विशेष परिचालन विभाग
भूतल, गुलाब भवन, 6, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिए)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परीशिष्ट IV के अनुसार)

चूंकि, एचडीएफसी बैंक लि. के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों के प्रयोग के तहत **दिनंक 10-अगस्त-2023** को एक **मांग सूचना** जारी की थी, जिसमें कर्जदार **मैसर्स सलीम एण्ड सन्स कंपनी (कर्जदार) स्वत्वाधिकारी श्री मोहम्मद सलीम अहमद तथा मोहम्मद नदीम अहमद के जरिए** तथा गिरवीदाताओं/गारंटीदाताओं को कथित सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लेखित रकम दिनांक 10.08.2023 की स्थिति के अनुसार **रु. 41,47,927.39 (रुपये इकतालीस लाख सैंतालीस हजार नौ सौ सत्ताईस एवं पैसे उनतालीस मात्र)** तथा **दिनांक 11.08.2023** से उस पर ब्याज के साथ भविष्य के ब्याज तथा प्रभार की रकम चुकता करने को कहा गया था।

कर्जदारों/गारंटीदाताओं/गिरवीदाताओं द्वारा उक्त रकम का भुगतान करने में असफल होने के कारण, एतद्द्वारा कर्जदारों/गारंटीदाताओं/गिरवीदाताओं एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लेखित अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा **2 दिसम्बर, 2023 को सहारनपुर उत्तर प्रदेश** में यहां उल्लेखित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया गया है।

विशेष तौर पर कर्जदारों/गारंटीदाताओं/गिरवीदाताओं तथा आम तौर पर जनसाधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा **रु. 41,47,927.39 (रुपये इकतालीस लाख सैंतालीस हजार नौ सौ सत्ताईस एवं पैसे उनतालीस मात्र) + दिनांक 11.08.2023** से उस पर सालाना 18% की दर से ब्याज के साथ व्यय तथा प्रभार इत्यादि की राशि पर एचडीएफसी बैंक लि. के प्रभार का विषय होगा।

कर्जदार का ध्यान प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

क्रमांक	अचल सम्पत्ति का विवरण	स्वत्वाधिकारी
1.	**स्थान**-मोहल्ला-गुलाम औलिया कसबा-गनगोह, परगना गनगोह में स्थित उप-पंजीयक, नकुर, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में बिक्री विलेख नं. 9764 दिनांक 05.09.2007 के मार्फत सम्पत्ति सं. एमपीएल नं. एफ/611, भूमि एवं भवन परिमाप 177.40 वर्ग मीटर।	मोहम्मद सलीम अहमद

तारीख: 2 दिसम्बर, 2023, स्थान: सहारनपुर उत्तर प्रदेश

अधिकृत अधिकारी
एचडीएफसी बैंक लि.

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम **3** के साथ धारा **13(12)** के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **जसप्रीत सिंह सचदेव प्रॉपराइटर जोडिएक कंसल्टेंट्स और गुनीत कौर सचदेव** को **13.09.2021** की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. **HHLDCP00194851** की राशि **रू.48,04,536.91 /- (रुपए अडतालीस लाख चार हजार पाँच सौ छत्तीस और इक्यानवे पैसे मात्र)** और **31.08. 2021** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट **60** दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा **13** की उप धारा (**4**) के साथ उक्त कानून के नियम **8** के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **01.12.2023** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू.48,04,536.91 /- (रुपए अडतालीस लाख चार हजार पाँच सौ छत्तीस और इक्यानवे पैसे मात्र) 31.08. 2021** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

आवासीय अपार्टमेंट नं.903, जिसका सुपर एरिया 223.04 स्के.मी. (2400 स्के.फीट लगभग) नौवी मंजिल पर, टॉवर ए में, ''द एस्फेरा"" से पहचाने जाने वाले आवासीय प्रोजेक्ट में, सेक्टर 37 में स्थित,गुरुग्राम-122002, हरियाणा एक कवर्ड कार पार्किंग जगह के साथ

दिनांक :01.12.2023
स्थान : गुरुग्राम

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

HDFC BANK We understand your world

एचडीएफसी बैंक लि. विशेष परिचालन विभाग
भूतल, गुलाब भवन, 6, बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली 110002

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिए)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परीशिष्ट IV के अनुसार)

चूंकि, एचडीएफसी बैंक लि. के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों के प्रयोग के तहत **28 मई, 2019** को एक **मांग सूचना** जारी की थी, जिसमें कर्जदार **मैसर्स गुलशन ट्रेडिंग कं. (कर्जदार) अपने साझेदार श्री अब्दुर रऊफ अंसारी तथा श्री मो. नौशाद तथा गिरवीदाताओं/गारंटीदाताओं** को कथित सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लेखित रकम **दिनांक 30.04.2019** की स्थिति के अनुसार **रु. 48,90,881.37** (रुपये अड़तालीस लाख नब्बे हजार आठ सौ इक्यासी एवं पैसे सैंतीस मात्र) तथा **दिनांक 01.05.2019** से उस पर ब्याज के साथ भविष्य के ब्याज तथा प्रभार की रकम चुकता करने को कहा गया था।

कर्जदारों/गारंटीदाताओं/गिरवीदाताओं द्वारा उक्त रकम का भुगतान करने में असफल होने के कारण, एतद्द्वारा कर्जदारों/गारंटीदाताओं/गिरवीदाताओं एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लेखित अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा **2 दिसम्बर, 2023 को सहारनपुर उत्तर प्रदेश** में यहां उल्लेखित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया गया है।

विशेष तौर पर कर्जदारों/गारंटीदाताओं/गिरवीदाताओं तथा आम तौर पर जनसाधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा **रु. 48,90,881.37 (रुपये अड़तालीस लाख नब्बे हजार आठ सौ इक्यासी एवं पैसे सैंतीस मात्र) + दिनांक 01.05.2019** से उस पर सालाना 18% की दर से ब्याज के साथ व्यय तथा प्रभार इत्यादि की राशि पर एचडीएफसी बैंक लि. के प्रभार का विषय होगा।

कर्जदार का ध्यान प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

क्रमांक	अचल सम्पत्ति का विवरण	स्वत्वाधिकारी
1.	**स्थान**-मोहल्ला अफगानन, कसबा नानूटा, तहसील, रामपुर मनीहरन जिला सहारनपुर-247452, उत्तर प्रदेश, परिमाप 274.20 वर्ग मीटर, **चौहद्दी:** पूर्व में: सहारनपुर दिल्ली रोड, पश्चिम में: मोहम्मद ईशाक का मकान, उत्तर में: अब्दुल गफ्फार का मकान, दक्षिण में: विक्रेता का मकान।	श्री. मोहम्मद नौशाद

तारीख: 2 दिसम्बर, 2023, स्थान: सहारनपुर उत्तर प्रदेश

अधिकृत अधिकारी
एचडीएफसी बैंक लि.

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

धनी लोन्स एन्ड सर्विसेज़ लिमिटेड (इंडियाबुल्स कंस्यूमर फायनान्स लिमिटेड) (CIN:U74899DL1994PLC062407) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम **3** के साथ धारा **13(12)** के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **नव ज्योति एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, सुदेश कुमार सरीन, पुनम सरीन उर्फ पूनम सरीन और अजय सरीन** को **04.06.2021** की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. **HILADMT00411711** की राशि **रू.2,33,40,601.04 /- (रुपए दो करोड तैंतीस लाख चालीस हजार छ सौ एक और चार पैसे मात्र)** और **27.05.2021** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट **60** दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा **13** की उप धारा (**4**) के साथ उक्त कानून के नियम **8** के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **01.12.2023** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू.2,33,40,601.04 /- (रुपए दो करोड तैंतीस लाख चालीस हजार छ सौ एक और चार पैसे मात्र) 27.05.2021** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **धनी लोन्स एन्ड सर्विसेज़ लिमिटेड** के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट नं.केए-81, मापित एरिया 287.18 स्के.मी.,आवासीय कॉलोनी कौशांबी में स्थित, तहसील और जिला गाज़ियाबाद,गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010, और निम्नुंसार परिबद्ध है:

पूर्व: औषधालय स्थल — **पश्चिम: रोड 9.00 मी.चौड़ा**
उत्तर :प्लॉट नं.80 — **दक्षिण: रोड 9.00 मी.चौड़ा**

दिनांक :01.12.2023
स्थान : गाज़ियाबाद

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
धनी लोन्स एन्ड सर्विसेज़ लिमिटेड

जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड

Genus energizing lives

(CIN: L51909UP1992PLC051997)
(पंजीकृत कार्यालय: जी-123, सेक्टर-63, नोएडा-201307, उत्तर प्रदेश) (फोन: 0120-2581999)
(कॉर्पोरेट कार्यालय: **SPL-3** रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सीतापुरा, टोंक रोड, जयपुर-302022, राजस्थान)
(फोन: 0141-7102400/7102500, फैक्स: 0141-2770319, ई-मेल: **cs@genus.in**, वेबसाइट: **www.genuspower.com**;

सूचना
(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए)
निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईइपीएफ) प्राधिकरण को कंपनी के इक्विटी शेयरों के अनिवार्य हस्तांतरण के संबंध में

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 कि धारा 124(6) और निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्रधिकरण (लेखा, लेख परीक्षा, हस्तांतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 (''नियम'') समय समय पर संशोधित के अनुसरण में, सभी इक्विटी शेयरों, जिनके संबंध में लगातार सात साल या उससे अधिक के लिए लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या दावा नहीं किया है, को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (''आईईपीएफ'') प्रधिकरण के नाम पर हस्तांतरण किया जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि वित्तीय वर्ष 2015-16 तक के लिए घोषित लाभांश, जिनका भुगतान नहीं किया गया था या दावा नहीं किया गया था, को समय-समय पर नियत दिनांक पर आईईपीएफ में हस्तांतरित कर दिए गए था।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 और उसके बाद के लिए घोषित लाभांश, जिनका भुगतान नहीं किया गया है या दावा नहीं किया गया है, वर्तमान में कंपनी के पास रखा है। संबंधित सदस्यों से अनुरोध हैं उक्त लाभांश का दावा पेश करने के लिए एक पत्र एवं अंडरटेकिंग (जिसका प्रारूप कंपनी की वेबसाइट के निवेशक अनुभाग मे उपलब्ध है), कंपनी सचिव जीनस पावर इंफ्रास्ट्राचर्स लिमिटेड, **SPL-3, RIICO Industrial Area, Sitapura, Tonk Road, Jaipur-302022 (Rajasthan)''** को भेजे ताकि उक्त लाभांश का डुप्लीकेट वारंट जारी किया जा सके अथवा उक्त लाभांश को संबंधित सदस्यों को ऑनलाइन ट्रांसफर किया जा सके।

कृपया ध्यान दें कि यदि इस मामले से संबंधित सदस्य, जो कि 08 मार्च, 2024 या अन्य बढ़ी हुई तिथि से पहले पूर्वकथित लाभांश का दावा पेश नहीं करते है जो कि वर्तमान में कंपनी के पास रखा है तो संबंधित इक्विटी शेयर को (जिनके संबंध में लगातार सात साल या उससे अधिक के लिए लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या दावा पेश नहीं किया है), आईईपीएफ प्राधिकरण को कंपनी द्वारा ऊपर उल्लिखित नियमों (संशोधित यदि कोई) के तहत नियत तिथि पर हस्तांतरित कर दिए जाएगा।

संबंधित सदस्यों और इक्विटी शेयरों का विवरण, जो कि आईईपीफ प्राधिकरण को स्थानांतरित करने के लिए उत्तरदारी हैं, कंपनी की वेबसाइट **www.genuspower.com** के अनुभाग ''निवेशकों''पर उपलब्ध हैं।

इस संबंध में व्यक्तिगत पत्र संबंधित सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर भेज दिए गये है। इस मामले पर स्पष्टीकरण, यदि आवश्यक हो, तो कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, **M/s. Niche Technologies Private Limited, 3A, Auckland Place, 7th Floor, Room No. 7A & 7B, Kolkata-700017,** दुरभाष: 033-22806616/17/6618, फैक्स: 033-22806619: ई-मेल: **nichetechpl@nichetechpl.com** से मांगा जा सकता है। एक बार यदि इन शेयरों को आईईपीफ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया जाता हैं, तो उसके बाद यह शेयर केवल नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके ही आइईपीएफ प्राधिकरण से वापस लिए जा सकते हैं।

स्थान: जयपुर
दिनांक: 05 दिसम्बर 2023

हस्ताक्षर
अंकित झांझरी
कंपनी सचिव

फॉर्म जी
ऑप्टो सर्किट्स (इंडिया) लिमिटेड हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण (ईओआई)
बेंगलुरू कर्नाटक में चिकित्सा उपकरणों के निर्माण, परीक्षण एवं निर्यात में संलिप्त

(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों हेतु दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन 2016 के विनियम 36 ए (1) अंतर्गत)

	प्रासंगिक विवरण	
1.	पैन /सीआईएन/एलएलपी नंबर के साथ कॉर्पोरेट कर्जदार का नाम	**ऑप्टो सर्किट्स (इंडिया) लिमिटेड** CIN: L85110KA1992PLC013223 PAN : AAACO2165P
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	प्लॉट क्र. 83, इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी, बेंगलुरू, कर्नाटक - 560100
3.	वेबसाइट का यूआरएल	https://www.psri.in/OCIL/
4.	स्थान का विवरण जहां बहुतांश अचल संपत्तियां स्थित हैं	प्लॉट नं. 83, इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी, बेंगलुरू, कर्नाटक-560100
5.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं की अधिष्ठापित क्षमता	कंपनी का कार्य संचालन वर्ष 2020 के मध्य से खंडित है तथा यह कंज्युमेबल्स समेत विभिन्न इनवेजिव एवं नॉन-इनवेजिव मेडिकल उपकरणों के निर्यात में संलग्न थी.
6.	विगत वित्तीय वर्ष में बेचे गये मुख्य उत्पादों/सेवाओं की मात्रा और मूल्य	कंपनी का कार्य संचालन वर्ष 2020 के मध्य से बंद है.
7.	कर्मचारियों/कामगारों की संख्या	86 (आईसीडी को)
8.	प्रोसेस के तत्पश्चात कार्यक्रमों की संबंधित तिथियां, कर्जदाताओं की सूची, दो वर्षों के विगत उपलब्ध वित्तीय विवरणों (अनुसूचियों के साथ) सहित सम्पूर्ण विवरण यूआरएल पर उपलब्ध हैं	https://www.psri.in/ocil/
9.	संहिता की धारा 25 (2) (एच) अंतर्गत समाधान आवेदकों हेतु पात्रता जानकारी यूआरएल पर उपलब्ध है	https://www.psri.in/ocil/
10.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति की स्वीकृति की अंतिम तिथि	20.12.2023
11.	संभावी समाधान आवेदकों की प्रोविजनल सूची जारी करने की तिथि	21.12.2023
12.	प्रोविजनल सूची पर आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	26.12.2023
13.	संभावी समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	27.12.2023
14.	संभावी समाधान आवेदकों को समाधान योजना हेतु अनुरोध तथा मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरेंडम जारी करने की तिथि	28.12.2023
15.	समाधान योजना जमा करने की अंतिम तिथि	27.01.2024*
16.	ईओआई जमा करने हेतु प्रोसेस ईमेल आईडी	ibc.opto@outlook.com, plan@psri.in

*टिप्पणी - उक्त फॉर्म जी के अनुसार समाधान योजना जमा करना, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की अवधि के संबंध में माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किये गये अवधि विस्तार के अधीन है.

दिनांक : 05.12.2023
स्थान : बेंगलुरू

पंकज श्रीवास्तव
समाधान पेशेवर
ऑप्टो सर्किट्स (इंडिया) लिमिटेड
रजि. नं. : IBBI/IPA-001/IP-P00245/2017-18/10474 I
एएफए नंबर : एए1/10474/02/161124/106329 एएफए दि. 16.11.2024 तक वैध
पत्राचार : क्र. 58, 3री क्रॉस, विनायक नगर, हेब्बल बेंगलुरू 560024
फोन : 080 2390 2344
पंजीकृत ईमेल : psrl@live.com

एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: वृंदावन, प्लॉट नं. १७७, सी. एस. टी. रोड, कालिना, सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९८, महाराष्ट्र, भारत
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
शाखा कार्यालय: नोएडा

L&T Finance

माग सूचना

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत (आगे से कानून कहा गया है)

हमने आप सभी (कर्जदारों, सहकर्जदारों और गारंटरों) को रजिस्टर्ड डाक एक्नॉलेज ड्यू के माध्यम से कानून की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की है, क्यों कि आपने बकाया राशियों का भुगतान नहीं किया है, और इस बकाया राशि को चुकता करने में विफल रहे हैं और इसे नजरअंदाज किया है. परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए आस्तिवर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार बुक ऑफ अकाउंट में लोन अकाउंट को नॉन-परफॉर्मिंग असेट (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है. यह सूचना अप्रेषित के रूप में वापस हो चुकी है और इसीलिए अब हम यह सूचना आप सभी को कानून की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी कर रहे हैं और एतद्द्वारा एल&टी फायनांशियल सर्विसेस (पहले जो एल&टी हाउसिंग फायनांस के रूप में ज्ञात थी, का 12 अप्रैल 2021 से प्रभाव तौर पर एल&टी फायनांस लिमिटेड ('एलटीएफ') के साथ विलय हो चुका है) मांग सूचना के दिनांक से भुगतान तक भावी ब्याज और अन्य प्रभारों के साथ इस कागजी सूचना के दिनांक से 60 दिन की अवधि के अंदर नीचे संलग्न सूचना में वर्णित राशि अदा करने के लिए आवाहन करते हैं. यदि आप इस सूचना के अनुसार अपनी देयताओं को पूरा नहीं करते हैं तो हम कानून की धारा 13(4) या धारा 14 के तहत दिए गए सभी या किसी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए विवश होंगे. ''यह कानून और/या समय समय पर लागू कानून के अनुसार हमें उपलब्ध किन्हीं भी अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना होगा.

ऋण खाता संख्या	कर्जदारों और सहकर्जदारों का नाम	मांग सूचना दिनांक / एनपीए दिनांक / बकायाराशि		अचल संपत्ति (मॉर्टगेज्ड) का वर्णन
		एनपीए दिनांक	बकाया राशि (₹) यथा	
H16324060619063620 & H16324060619063620L	1. सस्मिता नायक 2. आशीष कुमार नायक	मांग सूचना दिनांक: 07/11/2023 एनपीए दिनांक: 04/10/2023	रु. 34,95,048.83/- (चौंतीस लाख पंचानवे हज़ार अढ़तालीस रुपये तिरासी पैसे मात्र) दिनांक 03/11/2023 तक	**सूची-I** इस पते पर स्थित संपत्ति का प्रत्येक भूखंड: युनिट आइडी AM0J015002, फ्लैट नं/युनिट नं. AM-J-1502 क्षेत्रफल सुपर एरिया 1795 वर्ग फुट अजनारा एम्ब्रोसिया नामक प्रोजेक्ट में, प्लॉट नं. GH-01, सेक्टर-118, उत्तर प्रदेश 201301.

दिनांक: 06.12.2023
स्थान: नोएडा

कृते/-
प्राधिकृत अधिकारी
एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए

कॉरपोरेट मर्चेंट बैंकर्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: यूजी-24, विश्वदीप टावर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
ईमेल: cmbldelhi@gmail.com, वेब: www.cmbl.co.in
सम्पर्क नं.: +918008815777 CIN: L74899DL1994PLC061107

सूचना

एतद्द्वारा **सूचना** दी जाती है कि **कॉरपोरेट मर्चेंट बैंकर्स लिमिटेट ("कंपनी")** के सदस्यों की एक असाधारण आम बैठक ("ईजीएम") कंपनी के पंजीकृत में **शुक्रवार, 29 दिसम्बर, 2023** को **पूर्वाह्न 11.00 बजे** आयोजित की जाएगी, जिसमें कंपनी की ईजीएम बुलाने जाने की सूचना में यथा निर्धारित विशेष व्यवसायिक पहलुओं पर चर्चा की जाएगी।

रिमोट ई-वोटिंग की पद्धति एवं प्रारूप के उल्लेखित ईजीएम की सूचना के साथ उपस्थित होने की पर्ची तथा प्रतिनिधि प्रपत्र भेजने का कार्य मंगलवार, 05 दिसम्बर, 2023 को पूरा कर लिया गया है। निम्नलिखित प्रारूप में ईजीएम की सूचना उन सदस्यों को भेज दी गई है, डिपॉजिटरी के रिकार्ड के अनुसार पंजीकृत सदस्यों तथा टारगेट कंपनी के रिकार्ड के अनुसार भौतिक प्रारूप में इक्विटी शेयर धारण करने वाले पंजीकृत सदस्यों के रूप में जिनके नाम अंतिम तारीख यानी 01 दिसम्बर, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है:

क. अपने ईमेल आईडी पंजीकृत करा चुके सदस्यों को ईमेल के जरिए।

कंपनी अधिनियम की धारा 108 (अधिनियम) के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, यथा संशोधित, तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 (सूचीकरण विनियम) तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी आम बैठकों पर साचिविक मानक (एसएस 2) के मद्देनजर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से अपने सदस्यों को कंपनी की ईजीएम बुलाने की सूचना में निर्दिष्ट किसी अथवा सभी व्यवसायिक पहलुओं पर इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अपने वोटाधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। अधिनियम तथा उसके अधीन गठित नियमों का विवरण नीचे उल्लेखित है:

क) सदस्य जिनके शेयर भौतिक प्रारूप अथवा डिमैटेरियलाइज्ड प्रारूप में धारित है तथा जिनके नाम अंतिम तारीख यानी शुक्रवार 22, दिसम्बर, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा रखरखाव किए जाने वाले लाभार्थी स्वत्वाधिकारी के रजिस्टर में दर्ज है (पात्र सदस्य) वे कंपनी की ईजीएम बुलाने की सूचना में निर्दिष्ट किसी अथवा सभी व्यवसायिक पहलुओं पर रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ ईजीएम में आयोजित वोटिंग के दौरान अपने वोटाधिकार का प्रयोग करने के पात्र होंगे;

ख) रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 26 दिसम्बर, 2023 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगी।

ग) रिमोट ई-वोटिंग बृहस्पतिवार, 28 दिसम्बर, 2023 को अपराह्न 05.00 बजे समाप्त होगी।

घ) तदुपरांत वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग प्रारूप निशाक्त कर दिया जाएगा तथा इसके उपरांत इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्य द्वारा प्रस्तात पर एक बार वोट डाले जाने के बाद सदस्यों को तत्पश्चात उसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ङ) सदस्यगण कृपया ध्यान दें कि:
- 0 ईजीएम में बैलट पेपर के जरिए वोटिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट नहीं डाले हैं वे बैलट पेपर के जरिए बैठक में अपना वोटिंग के अधिकार का प्रयोग कर पाएंगे।
- 0 रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने वोटाधिकार का प्रयोग करने के बावजूद सदस्य ईजीएम में भाग ले सकते हैं, परंतु उन्हें ईजीएम में वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

च) कोई व्यक्ति अगर ईजीएम की सूचना भेजने के जाने यानी 05 दिसम्बर, 2023 के उपरांत सदस्य बने हैं वे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेज कर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

छ) व्यक्ति, जिनके नाम अंतिम तारीख को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा रखरखाव किए जाने वाले लाभार्थी स्वत्वाधिकारी के रजिस्टर में दर्ज हैं वे रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही साथ बैलट पेपर के जरिए ईजीएम में वोटिंग करने की सुविधा का लाभ पाने के पात्र होंगे।

ज) किसी भी तरह के प्रश्न के मामले में आप सदस्यों के लिए फ्रिक्वेंटली ऑस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) तथा http://www.evoting.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं अथवा श्री मेहबूब लखानी, सहायक प्रबंधक से helpdesk.evoting @cdslindia.com से सम्पर्क कर सकते हैं अथवा सीडीएसएल, मैराथन फ्यूचरेक्स, ए-विंग, 25वीं मंजिल, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 में 1800-200-5533/+91-22-23058543 पर कॉल कर सकते हैं।

i) रिमोट ई-वोटिंग के जरिए वोटिंग की जांच तथा मतदान की प्रक्रिया को स्वच्छ एवं पारदर्शी तरीके से सम्पन्न करने के लिए निदेश मंडल ने जांचकर्ता के रूप में श्री आकाश गोयल, जी आकाश एंड एसोसिएट्स के स्वत्वाधिकारी, कंपनी सचिव (सदस्यता नं. ए57213, सीओपी नं. 21629), अभ्यासरत कंपनी सचिव को नियुक्त किया है।

रिमोट ई-वोटिंग की विस्तारित प्रक्रिया तथा प्रारूप के लिए सदस्यों से ईजीएम की सूचना देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के संबंध में कंपनी के सदस्यों की कोई शिकायत अथवा प्रश्न रहने पर उसे सुश्री अमनदीप कौर के पास अथवा ऊपर उल्लेखित विवरण के अनुरूप संबंधित व्यक्तियों के पास भेज सकते हैं अथवा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव के पास लिख सकते हैं।

ईजीएम बुलाने की सूचना तथा अन्य प्रासंगिक दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.cmbl.co.in तथा सीडीएसएल की वेबसाइट https://www.evotingindia.com पर उपलब्ध रहेंगे।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते कॉरपोरेट मर्चेंट बैंकर्स लिमिटेड
हस्ता/-
(सुब्रमणियम बोम्मीरेड्डी गरी)
निदेशक
डीआईएन: 09738368

**दिनांक : 05 दिसम्ब